न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 48/2010
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2010/00003

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ
(सायल)

बनाम

लेखराज उम्र 39 साल पुत्र रामगोपाल मीणा, जाति मीणा निवासी सुन्दलक थाना कोतवाली बारां तहसील व जिला बारां, (राज0)
(गैरसायल)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2– श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 16.11.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल लेखराज उम्र 39 साल पुत्र रामगोपाल मीणा, जाति मीणा निवासी सुन्दलक थाना कोतवाली बारां, तहसील व जिला बारां के विरूद्ध थानाधिकारी कोतवाली बारां की रिपोर्ट अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि पुलिस थाना कोतवाली बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्ध वर्ष 2001 से 2010 तक की अवधि में कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/25, 5/25, 4/25 आर्म्स एक्ट 379, 323, 353 34 भा.द.स. के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से 01 प्रकरण थाना महावीर नगर, कोटा, 01 प्रकरण थाना सीसवाली, एवं 01 प्रकरण थारा सदर बारां में तथा शेष 07 प्रकरण थाना कोतवाली बारां में दर्ज हये है। उक्त प्रकरणों मे से मात्र 01 प्रकरण में गैरसायल दिनांक 30.06.2008 को जे0एम0 साहब बारां से बरी हुआ है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को [illegible] है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लग[illegible] आ[illegible]क है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तह[illegible] प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जि[illegible] सार्वजनिक शांतिभंग[illegible] आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्ध

गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से अधिकतम समयावधि हेतु निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल उपस्थिति दी गई। गैरसायल को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी गैर सायल की ओर से जवाब पेश नहीं होने पर गैरसायल का जवाब बन्द किया गया।

साक्ष्य सरकार में PW 1 ज्ञानचन्द, PW 2 लालसिंह तथा PW 3 तरूणकांत के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। साक्ष्य गैरसायल में गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य गैरसायल बन्द की जाकर प्रकरण में थानाधिकारी कोतवाली बारां से गैरसायल के वर्तमान चाल चलन की रिपोर्ट तलब की गई तथा रिपोर्ट थानाधिकारी, कोतवाली बारां प्राप्त होनेप पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

हमने बहस उभयपक्ष सहायक लोक अभियोजक एवं अभिभाषक गैरसायल की सुनी।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारां में विभिन्न धाराओं में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज है। थाना कोतवाली बारां में वर्ष 2001 से 2010 तक की अवधि में कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/25, 5/25, 4/25 आर्म्स एक्ट 379, 323, 353 34 भा.द.स. के तहत दर्ज हुये है। इसके पश्चात भी गैरसायल का चाल–चलन अच्छा नही है तथा गैरसायल लड़ाई झगड़े की घटनाओं में सर्किय है। गैरसायल के विरूद्व वर्ष 2011 से 2018 तक 5 आपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली बारां में अन्तर्गत धारा 302, 201, 34, 420, 406, 341, 323, 325, 307, 506, 504, 307, 341, 323, 34 भा.दं.सं. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। गैर सायल की आम शोहरत ठीक नहीं होने की पुष्टि थानाधिकारी, कोतवाली बारां की वर्तमान चाल चलन की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2019 से होती है। गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों निरन्तर बढने से, अप्रार्थी की आम शौहरत भी ठीक नहीं होने, अप्रार्थी का आम जनता में भय एवं आतंक होने एवं अप्रार्थी के विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा में अंकित लगभग सभी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किये जा चुके है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्व कोई प्रकरण लंबित नहीं है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली, बारां द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्व वर्ष 2001 से 2010 तक की अवधि में कुल 10 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/25, 5/25, 4/25 आर्म्स एक्ट 379, 323, 353 34 भा.द.स. के तहत दर्ज हुये है। तथा प्राप्त चालचलन रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरूद्व दिनांक 03.08.2010 के बाद 5 प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

प्रकरण संख्या 342/11, 376/15, 415/17, 76/18, 442/18 अन्तर्गत धारा 302, 201, 34, 420, 406, 341, 323, 325, 307, 506, 504, 307, 341, 323, 34 भा.दं.सं. एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुए है। ये सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह साबित होता है कि गैरसायल लेखराज उम्र 39 साल पुत्र रामगोपाल मीणा, जाति मीणा निवासी सुन्दलक थाना कोतवाली बारां, तहसील व जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है।

अतः गैरसायल लेखराज उम्र 39 साल पुत्र रामगोपाल मीणा, जाति मीणा निवासी सुन्दलक थाना कोतवाली बारां, तहसील व जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली, बारां जिला बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल लेखराज उम्र 39 साल पुत्र रामगोपाल मीणा, जाति मीणा निवासी सुन्दलक थाना कोतवाली बारां, तहसील व जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारां, क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीमल्या, जिला कोटा (ग्रामीण) को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 30.11.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला मजिस्ट्रेट, कोटा/जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा (ग्रामीण) थानाधिकारी पुलिस थाना सीमल्या, जिला कोटा (ग्रामीण) एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारां, जिला बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी कोतवाली बारां, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारां, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमल्या, जिला कोटा (ग्रामीण) के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट,बारां

जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:41 IST
Reason: SelfAttested